(5)	डा० एस०के० नन्दा, सीनियर कन्सलटेंट (शल्यक) डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ।	–	सदस्य
(6)	डा० इरफान वाजिह, महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	–	विशेष आमंत्रित
(7)	डा० पंकज सक्सेना, उपमहाप्रबन्धक(परिवार नियोजन), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	–	विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम श्री पंकज कुमार, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यो का स्वागत किया गया। तत्पश्चात डा० वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ करते हुये एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये:–

एजेण्डा मद संख्या:–01
(गत् बैठक दिनांक 22 मई 2017 की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)

सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत् बैठक दिनांक 22 मई 2017 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। मिशन निदेशक महोदय द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। तदोपरान्त पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या डा0 वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक(प0क0) द्वारा प्रस्तुत की गयी, जिसमे श्रीमती मैना पत्नी श्री राजेन्द्र निवासी चिड़ी महारन टोला तम्बौर जनपद सीतापुर के दावा प्रपत्र में संलग्न ओ०पी०डी० पर्चा (जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही है) में दिनांक 11.11.2014 को यूरिन प्रैगनेन्सी टेस्ट पॉजिटीव आया है तथा अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट करवाने हेतु सलाह दी गई परन्तु श्रीमती मैना द्वारा दिनांक 28.2.2015 को अल्ट्रासाउण्ड कराया है तथा क्लेम 26.03.2015 को किया गया है, के प्रकरण में तत्कालीन मिशन निदेशक श्री आलोक कुमार जी द्वारा निर्देश दिये गये थे कि परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति की आगामी बैठक में प्रकरण को पुनः प्रस्तुत किया जाये।